

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

आदेश

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक/ज्ञापांक-149 दिनांक-12.01.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि (संवेदक) श्री अरुण कुमार, पिता-श्री सियाराम सिंह, शर्मा भवन, रोड नं0-08, राजीव नगर, पटना के द्वारा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के कार्यालय से निर्गत निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-96/2018-19 में शामिल कार्य “बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के मुख्यालय भवन कार्यालय के समीप जिम्माजियम का निर्माण कार्य” की निविदा में SBD की केंडिका 4.5A(b) के तहत अर्हता हेतु Project Manager© NBCC (INDIA) LTD, SBG Office, Patna(Bihar) के पत्रांक-378, दिनांक-11.11.2017 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया गया, जो जाँचोपरान्त फर्जी पाया गया। इसके लिए श्री कुमार से प्रबंध निदेशक के कार्यालय के पत्रांक-3865(अनु0), दिनांक-28.12.2018 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के आलोक में (संवेदक) श्री अरुण कुमार, पिता-श्री सियाराम सिंह, शर्मा भवन, रोड नं0-08, राजीव नगर, पटना के निबंधन सं0-BCD प्रथम(व्यक्तिगत)-29(भवन)/2014 को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी।

दिनांक-18.02.19 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में इस मामले पर विचारोपरान्त समिति द्वारा संवेदक श्री अरुण कुमार से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-2184 दिनांक-25.02.19 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया तथा विभागीय पत्रांक-3554 दिनांक-03.04.19 द्वारा संवेदक को स्पष्टीकरण हेतु स्मारित किया गया।

संवेदक श्री अरुण कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक-10.04.19 की समीक्षा दिनांक-26.06.19 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में समिति द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त संवेदक के स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना की अनुशंसा के आलोक में संवेदक के निबंधन को पाँच साल के लिये कालीकृत करने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में संवेदक श्री अरुण कुमार, पिता-श्री सियाराम सिंह, शर्मा भवन, रोड नं0-08, राजीव नगर, पटना के निबंधन सं0-BCD प्रथम(व्यक्तिगत)-29(भवन)/2014 को आदेश निर्गत होने की तिथि से 05(पाँच) वर्षों के लिये कालीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

हो/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन-13/अभिभिरो(निरो)-03-निलंबन/कालीकृत-05/2019.....पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रतिलिपि:-श्री अरुण कुमार, पिता-श्री सियाराम सिंह, शर्मा भवन, रोड नं०-०८  
राजीव नगर, पटना के निबंधन सं०-BCD प्रथम(व्यक्तिगत)-२९(भवन)/२०१४ को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभिभिरो(निरो)-03-निलंबन/कालीकृत-05/2019.....पटना, दिनांक-  
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता  
प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ  
निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास  
विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें  
एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण  
विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन  
निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन  
निर्माण निगम लिंग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

हो/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभिभिरो(निरो)-03-निलंबन/कालीकृत-०५/२०१९.....पटना, दिनांक- २६.७.१९  
6851(ल)

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड  
करने हेतु प्रेषित।

  
2017/19

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव